कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccf-kanker.cg@gov.in (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25/2019/733 कांकेर, दिनांक/14/03/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू–प्रबंध)

छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर।

विषयः– Diversion of Forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Jawahar Navodaya Vidyalaya Area 5.00 ha.-regarding ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/SCH/32242/2018

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–734/4290 दिनांक 26.12.2018

विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के कक्ष क्रमांक पी–794 में से रकबा 5.00 हे. वन भूमि पर जवाहर नवोदय विद्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25/2019/2861 दिनांक 16.11.2018 द्वारा आपको प्रेषित किया गया था, जिसमें आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से 04 बिन्दुओं की वांछित जानकारी की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, जिसके परिपालन में वांछित बिन्दुओं की पूर्ति कर वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल ने अपने पत्र क्रमांक/मा.चि./413 दिनांक 14.03.2019 द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

01. जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 5.00 हे. में प्रभावित 1200 वृक्षों में से निर्माणाधीन क्षेत्र में आवेदक विभाग के प्रमाण पत्र के आधार पर ले–आऊट (चिन्हित क्षेत्र) के 43 वृक्षों का विदोहन योजना प्रस्ताव के पृ.क्रमांक 19 एवं 20 में संलग्न है। शेष 1157 वृक्षों का विदोहन नहीं किये जाने का आवेदक विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न है।

02. प्रकरण में स्थल विशेष परियोजना नहीं होने के कारण तीन वैकल्पिक क्षेत्रो का तुलनात्मक विवरण मय नक्शा संलग्न है।

03. परियोजना हेतु वन क्षेत्र की आवश्यकता न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृ.क्रमांक 17 में दर्ज है। प्रस्तावित क्षेत्र में निर्माण कार्य का ले–आऊट प्लान संलग्न है तथा भूमि उपयोग 1.00 हे. में भवन निर्माण व शेष 4.00 हे. में बाण्उड्रीवाल निर्माण करवाकर पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व बगीचा का निर्माण किया जावेगा। वृक्ष विदोहन की आवश्यकता नहीं है।

04. जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की आवेदक विभाग का प्रमाणित प्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण का प्रस्ताव एवं व्यपवर्तित वन क्षेत्र व वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 04–04 प्रतियों में अनुशंसा सहित आपकी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– 1. **प्रस्ताव एवं व्यपवर्तित वन क्षेत्र डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट 04–04 प्रतियों एवं सेफ फाईल (सी.डी.)**

2. **वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट 04–04 प्रतियों एवं सेफ फाईल (सी.डी.)**

14/03/19

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25/2019/734 **कांकेर, दिनांक/14 /03 /2019**

प्रतिलिपि :–

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज./समन्वय) छ.ग. अटल नगर रायपुर** को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/स्टेनो/मा.चि./न.क्र.25/2019/722 दिनांक 13.03.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. **वनमण्डलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल** को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./413 दिनांक 14.03.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. **आवेदकर्ता, जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव (छ.ग.)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14/03/19

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर